न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

इजलास – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 28/2011
तारीख दायर 11.02.2011

अनवान

1. बदाम बेवा लादू जाति रेगर निवासी देवीपुरा हाल मालीखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. केलाश पिता लादू जाति रेगर निवासी देवीपुरा हाल मालीखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. शम्भू पिता लादू जाति रेगर निवासी देवीपुरा हाल मालीखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––वादीगण

वनाम

1. उदा पिता परथा जाति रेगर निवासी देवीपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री हरिश सनाढ्य, अधिवक्ता (वादीगण)
2. सत्यनारायण जीनगर, अधिवक्ता (प्रतिवादीगण)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:: निर्णय::–

दिनांक :– 11.11.2019

वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वाद नियमित सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का बरूंदनी तहसील माण्डलगढ़ में स्थित आराजी संख्या 4501/288 रकवा 06 बीघा 13 विस्वा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये जाकर तहसीलदार माण्डलगढ़ को विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया।

तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा आदेशानुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 27.06.2018 को विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता सुनी गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव से सहमत है।

अतः वाद पत्र वादीगण अंतर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	मौजा	आराजी संख्या	रकवा	लगान
1	उदा पि0 परथा मु0 वाली बेवा परथा रेगर सा0 देहह खातेदार	देवीपुरा	4501/288	3.06	1.56
	योग		किता 1	3.06	1.56

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned by CamScanner

2	कैलाश शंभू पि0 लादु बदाम बेवा लादु रेगर सा0 देह खातेदार रहन स0भू0वि0 बैंक शाखा माण्डलगढ़	देवीपुरा	4501/288	3.07	1.57
	योग		किता 1	3.07	1.57

उक्तानुसार खातेदारो के नाम पर भूमि पृथक पृथक दर्ज किए जाने के आदेश दिये जाते है। वकील वादी द्वारा नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेश करने पर डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned by CamScanner